सं. टी-24012/1/2025-प्रशा.-I

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

षष्ठम तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 30 सितम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

विषय : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में क्षमता निर्माण इकाई (Capacity Building Unit-CBU) के संशोधित गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या X-13/1/2022-प्रशा.-I दिनांक 05.12.2022 को अधिक्रमित करते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में क्षमता निर्माण इकाई (सी.बी.यू.) का संशोधित गठन इस प्रकार है:

क्रम सं.	**पदनाम**	**अध्यक्ष/सदस्य**
1.	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	अध्यक्ष
2.	अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण), एनएबीएम	सदस्य
3.	अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण), आईआईएमसी	सदस्य
4.	निदेशक/उप सचिव (बीएपी)	सदस्य
5.	निदेशक/उप सचिव (आईआईएस)	सदस्य
6.	निदेशक/उप सचिव (आईपी एंड एमसी)	सदस्य
7.	निदेशक/उप सचिव (प्रशासन)	सदस्य

2. क्षमता निर्माण इकाई (सी.बी.यू.) का व्यापक कार्यक्षेत्र निम्नलिखित गतिविधियों तथा उनसे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई को समाहित करेगा:-

i. CBC के साथ मिलकर हर स्तर पर भूमिकाओं (roles) की मैपिंग और मौज़ूदा क्षमता कमियों (competency gaps) की मैपिंग के ज़रिए ज़रूरी क्षमताओं का आकलन करना।

ii. CBC के साथ मिलकर मंत्रालय के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP) को जोड़ना, अपडेट करना और लागू करना।

iii. मंत्रालय में ACBP को लागू करने की प्रगति की निगरानी करना और CBC को रिपोर्ट करना।

iv. विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर संगठनात्मक क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण संबंधी उपाय करना।

v. क्षेत्र-विशिष्ट क्षमता ज़रूरतों और उचित उपायों की पहचान के लिए मंत्रालय के अलग-अलग विभागों/अनुभागों के साथ समन्वय करना।

vi. क्षमता निर्माण पहलों, किए गए प्रशिक्षणों और 'मिशन कर्मयोगी' के तहत शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड और डेटाबेस बनाए रखना।

vii. उपलब्धियों, चुनौतियों और आगे की राह पर समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करके सचिव (सूचना एवं प्रसारण) और CBC को सौंपना।

viii. सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की मंज़ूरी से कोई भी अन्य संबंधित मामला।

3. यह आदेश सचिव (सूचना एवं प्रसारण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

-हस्ताक्षरित-
(इवनीत कौर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2338 1944

सेवा में,

संबंधित सभी अधिकारी।

प्रतिलिपि :

1. सदस्य (मानव संसाधन), क्षमता निर्माण आयोग, जवाहर व्यापार भवन, टॉल्स्टॉय रोड, नई दिल्ली - 110001।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव (सूचना एवं प्रसारण)।
3. निजी सचिव, अपर सचिव (सूचना एवं प्रसारण)।
4. संबंधित संयुक्त सचिवों/निदेशकों/उप सचिवों के पीपीएस/पीएस।